दिनांक 06.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 10/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा त्यौहारों, कानून–व्यवस्था एवं मिशन शक्ति आदि के सम्बन्ध में की गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 06.10.2024 को समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त/परिक्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी उ0प्र0 के साथ त्यौहारों, कानून–व्यवस्था एवं मिशन शक्ति आदि के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गयी।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही के दिशा–निर्देश दिये गयेः–

- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान एवं स्वलम्बन हेतु **मिशन शक्ति (फेज–5)** प्रारम्भ किया जाना है, जिसके दृष्टिगत विभिन्न विभागो के समन्वय से कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु समस्त तैयारिया कर ली जाये, बीट प्रणाली को सक्रिय रखा जाये।
- समस्त थानो में महिला बीट प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु महिला बीट पुलिस कर्मियों का समुचित उपयोग किया जाये तथा महिला आरक्षियों की क्षमताओ का वेहतर प्रयोग किया जाये, महिला पुलिस कर्मियों द्वारा बीट में महिलाओं से जनसंवाद कर उनकी समस्याओ/शिकायतो को गम्भीरता से लेते हुए समय से निस्तारण कराया जाये।
- थाने पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क को संक्रिय रखा जाये, तथा आने वाली महिलाओ की समस्याओं के निस्तारण में महिला हेल्प डेस्क का समुचित प्रयोग किया जाये।
- विगत वर्षो में लूट, नकबजनी, चोरी एवं अन्य बड़े अपराध जो किसी स्थान विशेष पर घटित हो रहे हो ऐसे स्थानो को चिन्हित कर उन स्थानो पर पीआरवी का व्यावस्थापन सुनिश्चित किया जाये तथा उसी प्रकार से उनका रूट चार्ट बनाया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि रात्रि में 112 के वाहनो की फ्लैसर लाइट/हूटर का प्रयोग किया जाये।

- आगामी त्यौहारो के दृष्टिगत सभी धार्मिक गुरूओं से एक साथ एवं अलग–अलग भी वार्ता कर ली जाये तथा अन्य संगठनो, सभी व्यवसायिक संगठनो, औद्योगिक एवं मेडिकल एसोसियेशन आदि के सदस्यो से वार्ता करा ली जाये, साथ ही जिलाधिकारी से उपरोक्त संगठनो से वार्ता हेतु अनुरोध कर लिया जाये। जिससे किसी प्रकार की शान्ति व्यवस्था प्रभावित न हो।
- किसी भी प्रकार का भड़काउ भाषण देने तथा माहोल बिगाडने का प्रयास करने वालो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।
- अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए पीस कमेटी, शान्ति समितियों की गोष्ठी प्रत्येक स्तर पर कर ली जाये तथा डिजिटल वालेन्टियर्स एवं सिविल डिफेन्स का सक्रिय सहयोग लिया जाये।
- UP–112 के पीआरवी वाहनों का वेहतर प्रयोग किया जाये तथा 112 के वाहनो को स्ट्रैटजिंक लोकेशन पर रखा जाये। जनपद के हॉटस्पॉट्स/संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर पीआरवी वाहनो का व्यवस्थापन किया जाये।
- कमिश्नरेट/जनपद के समस्त देवी मंदिरों, पूजा पण्डालों, स्थापित होने वाले देवी प्रतिमाओं, जुलूसों, जागरण कार्यक्रम, प्रतिमा विसर्जन स्थल तथा रामलीला कार्यक्रमों व इनके आयोजकों/संचालकों व कमेटी के सदस्यों के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी कर ऐसे स्थलो पर भीड़ का आंकलन करते हुए पर्याप्त मात्रा में महिला एवं पुरूष पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन किया जाये।
- रामलीला, दुर्गा मूर्ति/प्रतिमा विसर्जन के स्थानों/जुलूस आदि के मार्गों तथा रावण पुतला दहन इत्यादि के स्थानों का भ्रमण कर किसी भी प्रकार का कोई विवाद परिलक्षित होता है तो उसका तत्काल निस्तारण करा लिया जाये। आवश्यकतानुसार विभिन्न विवाद के स्थलों, मार्गों का भ्रमण पुलिस आयुक्त/जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक/ डी०सी०पी०/अपर पुलिस अधीक्षक/ ए०डी०सी०पी०/अपर जिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी/ए०सी०पी०/उप जिलाधिकारी द्वारा भी कर लिया जाये।
- दुर्गापूजा पण्डाल व रामलीला मंच की स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो तथा मूर्तियों की स्थापना पारम्परिक परन्तु खाली स्थान पर की जाये।
- पूजा पंडाल, जागरण पंडाल, प्रतिमा विजर्सन तथा अन्य कार्यक्रमों में विद्युतजनित दुर्घटना के दृष्टिगत पूर्व से ही अयोजकों, विद्युत विभाग के अधिकारियों तथा अग्निशमन विभाग के साथ समन्वय/संवाद स्थापित कर भौतिक निरीक्षण करते हुये आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध कर लिया जाये।

- समस्त अधिकारीगण समय से कार्यालय में बैठकर जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करें तथा जन शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ प्राथमिकता के आधार पर सम्यक विधिक निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त होने वाली वाली शिकायते आवश्य सुनी जाय तथा उनसे निरन्तर संवाद बनाये रखा जाय।
- साइबर अपराधो के दृष्टिगत जनपदो के साइबर थानो/डेस्क को सतर्क रखा जाये, साइवर अपराध से बचने के लिए जागरूकत्ता अभियान चलाते हुए अधिक से अधिक लोगो को जागरूक किया जाये।

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

जनपद रायबरेली/थाना गदागंज

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 लाख 500 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 06.10.2024 को थाना गदागंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर पुलिया महामाया मोड़ के पास से 03 अभियुक्तों 1–शौकीन उर्फ सबीउद्दीन 2–मो0इरशाद 3–दिलशाद को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख 500 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.09.2024 को थाना गदागंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गदागंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त शौकीन के विरूद्ध जनपद रायबरेली एवं कमिश्नरेट प्रयागराज, वाराणसी के विभिन्न थानो में लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गदागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शौकीन उर्फ सबीउद्दीन निवासी सकूहाबाद थाना लीलापुर कमिश्नरेट प्रयागराज।

2–मो0इरशाद निवासी भँगवा पूरे नरसिंह भान थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

3–दिलशाद निवासी राजापुर परशुराम थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी

1–लूट के 02 लाख 500 रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद मथुरा/थाना कोतवाली

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 10 लाख 55 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण व 16 किलो 966 ग्राम चाँदी की सिल्ली बरामद**

दिनांक 05.10.2024 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मथुरा रेलवे स्टेशन के पास से 03 अभियुक्तों 1–देवेश उर्फ बबलू 2–आजाद 3–मोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 10 लाख 55 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण व 16 किलो 966 ग्राम चाँदी की सिल्ली बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 21.09.2024 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–देवेश उर्फ बबलू निवासी प्रकाश नगर भूतेश्वर थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

2–आजाद निवासी कलाल खेरिया थाना ताजगंज कमिश्नरेट आगरा।

3–मोहित निवासी कलाल खेरिया थाना ताजगंज कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के 10 लाख 55 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण व 16 किलो 966 ग्राम चाँदी की सिल्ली ।

जनपद सहारनपुर/थाना गागलहेडी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 05 हजार 250 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 05.10.2024 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोलकी फ्लाईओवर के पास से 03 अभियुक्तों 1–अनुज 2–हिमांशु 3–प्रमोद को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 05 हजार 250 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना गागलहेडी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनुज निवासी पंजाबी बाग थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

2–हिमांशु निवासी पंजाबी बाग हकीकत नगर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर, मूलपता ग्राम जंधेडा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

3–प्रमोद निवासी छोटा चौक थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लूट के 05 हजार 250 रूपये नगद आदि।

जनपद बागपत/थाना सिंघावली अहीर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 06.10.2024 को थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना सिंघावली अहीर क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अकबर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बागपत के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 19 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अकबर निवासी ग्राम बसौद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद फतेहपुर/थाना जहानाबाद

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 10 हजार 160 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 06.10.2024 को थाना जहानाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त छोटू उर्फ कट्टर को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 10 हजार 160 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जहानाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जहानाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—छोटू उर्फ कट्टर निवासी कस्बा व थाना जहानाबाद जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 10 हजार 160 रूपये नगद।

2—01 मोबाइल फोन।

———————